फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती ललिता **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा –88,188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 24/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 16.12.2021 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प चंगेडी में पेश हुई। अधिवक्ता वादी व राजपेरोकार उपस्थित। राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश कर वाद स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीयां के पति नारायण के दो पत्नीयां थी प्रथम पत्नी सोसर व द्वितीय पत्नी वादीयां ललिता स्वयं होना बताया हैं। वादीयां के पति नारायण ने वादग्रस्त भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रथम पत्नी सोसर बाई के नाम क्रय की। सोसरबाई नारायणलाल दोनो की मृत्यु होना बताया हैं। नारायण लाल व सोसर बाई के वादीयां ललिता के बजाय अन्य कोई वारिस नहीं होना बताया हैं। मौके पर वादग्रस्त भूमि वादीयां के कब्जे होकर उपयोग उपभोग करना बताया। वर्तमान में नारायण व सोसरबाई के बाद वादीया एकमात्र वारिस होना बताया हैं। वादीयां के अलावा नारायण व सोसरबाई का अन्य कोई वारिस नहीं होने से उक्त भूमि अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारिणी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीयां का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप वाद वादीयां अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा चंगेडी पटवार हल्का चंगेडी की आराजी नम्बर 897 किता 1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि में खातेदार सोसरबाई पत्नी नारायणलाल के बजाय वादीयां ललिता पत्नी नारायणलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय खुले सुनाया गया। **(मयंक मनीष IAS)** **सहायक कलक्टर** **(FT) मावली** Signature Not Verified Digitally signed by Mayank Manish Date: 2022.01.05 15:43:11 IST Reason: SelfAttested	

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्रीमती ललिता पत्नी नारायण मेघवाल निवासी चंगेडी हाल वार्ड न. 18 कच्ची बस्ती फतहनगर तह. मावली।

...................वादीयां

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

..............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 24/20 (वाद) GCMS No. – 2020/00040

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादीयां अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा चंगेडी पटवार हल्का चंगेडी की आराजी नम्बर 897 किता 1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि में खातेदार सोसरबाई पत्नी नारायणलाल के बजाय वादीयां ललिता पत्नी नारायणलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.05 15:43:11 IST
Reason: SelfAttested